



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।


क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1042/47

दिनांक : 18.05.16

--: कार्यालय आदेश :-

कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1042/19 दिनांक 20.4.2016 द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक मु.स.प्र./विलम्ब अवधि/2013/738 दिनांक 06.8.2013 के अनुसार आवंटन पत्र की मांग राशि विलम्ब से जमा कराने वाले ब्याज एवं पेनल्टी तथा कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1018 (iv)/551 दिनांक 06.02.2004 आवंटियों से विलम्ब अवधि के ब्याज को एवं कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1034/650 दिनांक 28.01.2014 के अनुसार नीलामी में बिक्रित सम्पत्तियों की मांग पत्र की राशि विलम्ब से जमा कराने पर लगने वाली शास्ती एवं ब्याज की दर 18 प्रतिशत वार्षिक दर को घटाकर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से लिये जाने के आदेश दिये गये हैं।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मासिक किश्तों / लीजमनी / पूर्व ग्रहण राशि पर प्रति माह की दर से एवं शेष समस्त प्रकार के प्रकरणों में मांग राशि पर विलम्ब अवधि पर लगने वाली शास्ति एवं ब्याज की दर 12 प्रतिशत वार्षिक प्रति दिवस की दर से होगी।



अध्यक्ष एवं पदेन आयुक्त

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1042/47

दिनांक : 18.05.16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा.आ.म., जयपुर।
- 2- मुख्य अभियन्ता/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
- 3- अति.मु. अभियन्ता,, रा.आ.म.,
- 4- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-, रा.आ.म.,
- 5- संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर।
- 6- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-, रा.आ.म.,
- 7- लेखाधिकारी वृत्त-, रा.आ.म.,
- 8- सम्बन्धित पत्रावली।
- 9- रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार